राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 843/2025

जीतेन्द्र कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, आई.सी.डी.एस. एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेवर, जिला भरतपुर।
4. मोहनदास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेवर, जिला भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 14.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा बिना प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी को परियोजना सेवर जिला भरतपुर से परियोजना बौंली जिला सवाई–माधोपुर में स्थानांतरण किया गया। आदेश दिनांक 09.07.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2023–2024 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था और पदोन्नति दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी है। आदेश दिनांक 09.07.2024 को अपीलार्थी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सेवर जिला भरतपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर जिला भरतपुर ने निदेशक आईसीडीएस, राजस्थान, जयपुर को सूचना भेज दी है (अनुलग्नक–3)। लेकिन आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के पद पर स्थानांतरित कर

दिया गया। दिनांक 15.01.2025 का स्थानांतरण आदेश डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.1.2025, परिपत्र दिनांक 2.10.2010 के साथ–साथ राजस्थान पंचायतीराज स्थानान्तरण क्रियाकलाप नियम 2011 के नियम 8(3) के भी विरुद्ध है। अधिसूचना दिनांक 2.10.2010 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान राज्य द्वारा पंचायतीराज विभाग को सौंप दिया है और पंचायतीराज विभाग ऐसे विभाग के कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता होती है और स्थानांतरण आदेश पारित करने से पहले सहमति ली जानी चाहिए और आगे नियम 2011 के नियम 8 (3) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में कैसे किया गया है लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने पंचायतीराज विभाग की सहमति के बिना दोनों स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.1.2025 को पारित कर दिए।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तण आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर परियोजना सेवर जिला भरतपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01. 2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा उसका स्थानान्तरण परियोजना सेवर जिला भरतपुर से परियोजना बौंली जिला सवाई–माधोपुर में किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर परियोजना सेवर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। इससे पूर्व अपीलार्थी का आदेश दिनांक 09.07.2024 द्वारा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पद पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी को पदोन्नति के समय पदोन्नत पद पर उसी स्थान पर कार्यग्रहण करवाया गया जहां पर वह पूर्व में कार्यरत था। वर्तमान स्थानान्तरण आदेश पदोन्नति के पश्चात प्रथम बार जारी किया गया है, जो नवीन पदोन्नति उपरान्त किया गया है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का पदोन्नति उपरान्त दूसरी बार स्थानान्तरण किया गया हो। ऐसे में हम अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में बल नहीं पाते है कि अपीलार्थी का जो स्थानान्तरण आदेश जारी किया है वह अल्पावधि में जारी किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के सम्बन्ध में **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। प्रकरण में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा

के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें एवं पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग जयपुर द्वारा जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)